



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265600  
CG-DL-E-21082025-265600

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3733]  
No. 3733]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

का.आ. 3838(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण (पैन: AAALK0324M) (इसमें इसके पश्चात "करदाता" के रूप में संदर्भित), जोकि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों साथ के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 11, 1973) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 137/2025/फा. सं. 300195/25/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2025

**S.O. 3838(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the Kanpur Development Authority (PAN: AAALK0324M) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act 11 of 1973), for the purposes of the said clause.

**2.** This notification shall be effective from the assessment year 2024-2025, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning Development Act, 1973 (President’s Act 11 of 1973) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 137/2025/F. No. 300195/25/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.